

[PLEASE SEE THE INSTRUCTIONS NOTED OVER LEAF BEFORE FILLING THE PAY IN SLIP]

9

ALLAHABAD BANK
HIRAPUR, BRANCH, DHANBAD
PAY IN SLIP

DATE

Please credit the ACCOUNT No. 20987602141

.....OF JHARKHAND STATE HOUSING BOARD maintained in your Branch by a sum of Rs. 2000/- (Rupees Two thousand only) only as detailed below.

Particulars	Amount
Cheque No. / DD No.	
Dated	
Name of the Bank	
Rs. 2000x.....	2000
Rs. 500x	
Rs. 200x	
Rs. 100x	
Rs. 50 x.....	
Total	

(Rupees Two thousand only)

1. Name of the Depositer : D.R. NEHA BAJAJ

2. Details of House / Flats / Plots against which amount deposited House / Flat / Plot No. H.I.G. 5-A 5TH

Place : आरबी डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग बोर्ड

Name of the Scheme : इण्डियन बैंक इस्टर्न इंडिया लिमिटेड - एनएच

3. Head of Deposit / Earnest Money/Initial Money/Monthly Installment / Monthly Rent / Divided or Labhansh / Others

(Please Specify G/R - By Board LTNO 558/305
21.9.2020 SEP, 2020 to 2028)

2000
Neeta Bajaj
Signature of Depositer

FOR BANK USE
CASH PAYMENT

PASSING OFFICER CASHIER

JOURNAL NO. 3397061

DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 180680090322125719

Date : 09-03-2022

प्रभावी : द्वितीय तिमाही 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री NEHA BAJAJ W/O ASHISH BAJAJ,
मोहल्ला HIG HOUSING COLONY DHANBAD DHANBAD
DHANBAD , 826001
9334528194

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0280002986000MO वार्ड सं. 28 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही वार निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	46.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	विजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		46.00



नोट:-

To be signed by the Applicant

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडीका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संयोजित इस सम्पत्ति कर इन इमरता/दांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मातिकों/दखतकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नं. का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

New Boy 48